

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों में रोजगार के अवसर का अध्ययन

सबलसिंह ओहरिया (शोधार्थी)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मंदसौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विगत वर्षों में सामाजिक संगठनात्मक ढाँचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्रामों में रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन निरंतर बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उतनी तेजी से गाँवों में घटते आजीविका के अवसर हैं। शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के फैलाव के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। कृषि भूमि का आवासीय और औद्योगिक उद्देश्य से उपयोग होने का कारण आजीविका एवं रोजगार के अवसर भी समाप्त प्रायः होते जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आलीराजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों में रोजगार के अवसर का अध्ययन किया गया है। इनमें 72 किशोर-किशोरियों प्रतिदर्श में से 31 प्रतिशत कृषि में, 15 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं, जबकि पारंपरिक एवं अन्य व्यवसाय में, 32 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 13 प्रतिशत परंपरागत व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किशोर-किशोरियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी आजाद भारत में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बेहतर नहीं हो पायी है।

भूमिका

भारत में बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की समस्याएं एक लम्बे समय से चली आ रही हैं। पिछले चार दशकों में कई पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन की बात कही जा रही है, परंतु यह धारणा मात्र एक दिवास्वप्न सिद्ध हुई है। लगभग 50 वर्ष के नियोजित विकास काल के बाद आज भी राष्ट्रीय स्तर पर जीवन की अनिवार्यताओं अर्थात् रोटी व रोजगार की समस्याओं से ही जूझना पड़ रहा है। हम निर्धनता के निवारण, बेरोजगारी में कमी व आर्थिक विषमता में कमी का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप रोजगार के अभाव में एवं गलत चयन से आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती चली जा रही है। विगत वर्षों में सामाजिक संगठनात्मक ढाँचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्रामों में रोजगार

की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उतनी तेजी से गाँवों में घटते आजीविका के अवसर हैं। “शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के फैलाव के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, कृषि भूमि का आवासीय और औद्योगिक उद्देश्य से उपयोग होने का कारण आजीविका एवं रोजगार के अवसर भी समाप्त प्रायः होते जा रहे हैं जो पूर्व में कृषि कार्य या कृषि भूमि के कारण ग्राम में भी उपलब्ध हो जाया करते थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र सामान्यतः आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के ऐसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पिछड़ेपन के कारण एवं विभिन्न परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है।

नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण से गाँव से रोजगार के साधन न होने के कारण एवं आमतौर से ग्रामीण एवं अपने परम्परागत उद्योग धंधों का छोड़ने के कारण किशोर वर्ग गाँव छोड़कर चला जाता है। ऐसे युवकों को शहरों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

शोध समस्या की आवश्यकता

आज आवश्यकता है कि गाँव के उन तमाम कमजोर वर्ग के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त से निकालें जो युवक बेरोजगारी के कारण अपना गाँव एवं घर छोड़कर महानगरों की अंधेरी गलियों में भटकने जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में इस विषय का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी है, जिससे इस योजना के अध्ययन द्वारा हितग्राहियों की स्थिति में आये परिवर्तन समस्याओं को सामने लाने का अवसर मिलेगा एवं उनके द्वारा प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर नई योजनाएँ आरम्भ की जा सकेंगी। युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिये अनेकों कार्यक्रम राज्य एवं केंद्रीय सरकारों द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिसमें से अधिकांश: कार्यक्रमों का मूलभूत उद्देश्य युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रोत्साहित करना है, क्योंकि सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान नहीं की जा सकती। रोजगार उद्योग स्थापना बेरोजगारी से निदान पाने के लिए आवश्यक है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अध्ययन करना।
2. आदिवासी किशोर-किशोरियों में परम्परागत व्यवसाय एवं उसमें आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की उपकल्पना

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सार्थक अंतर नहीं होगा,
2. आदिवासी किशोर-किशोरियों में परम्परागत व्यवसाय एवं उसमें आये परिवर्तन में सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन हेतु तथ्यों एवं घटनाओं को समझने की एक निश्चित कार्य पद्धति है जो हमें अनुसंधान के लिए विभिन्न चरणों के माध्यम से दिशा निर्देशन का कार्य करती है। शोध प्रविधि के अंतर्गत निम्न चरण को सम्मिलित किया जाता है।

अध्ययन का समग्र

अध्ययन समग्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में निवास करने वाले आदिवासी किशोर-किशोरियों को लिया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर के संपूर्ण विकासखण्ड लिए गए हैं। द्वितीय चरण में प्रत्येक विकासखण्ड से 2-2 गाँवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गाँव में 12 निदर्शन 6 किशोर 6 किशोरियों का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 72 निदर्शन के रूप में किशोर-किशोरियों को अलीराजपुर जिले से चयनित किया गया है।

शोध अध्ययन की निदर्शन इकाई

शोध अध्ययन में शोध इकाई के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के उन आदिवासी किशोर-किशोरियों का चयन निम्न विशेषताओं के आधार पर किया गया है।

1. उन्हीं किशोर-किशोरियों को लिया गया है जो अलीराजपुर जिले में निवास करते हैं।

2. वे किशोर-किशोरियों जो आदिवासी वर्ग से हो।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में उन्हीं किशोर-किशोरियों को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 17 से 24 के बीच है।

निदर्शन का आकार

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 निदर्शन लिये गये हैं, जिनमें 36 किशोर, 36 किशोरियों को सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि

“निदर्शन समग्र का एक छोटा सा अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएँ पायी जाती है “
प्रस्तुत शोध में कुल 72 निदर्शन का चयन हेतु दैव निदर्शन एवं उद्देश्यपूर्ण विधि से आवश्यकतानुसार किया गया है।

उपकरण का चुनाव

प्रस्तुत शोध कार्य में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

समंक संकलन के स्रोत

1. प्राथमिक समंको का संकलन- प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है।

2. द्वितीय समंकों का संकलन- द्वितीय समंक संकलन के लिये संबंधित शोध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्र, संबंधी योजनाओं की रिपोर्ट, शोध-ग्रंथ, इंटरनेट अन्य सूचना माध्यमों का उपयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन किया गया है। सारणी में प्रतिशत के आधार पर तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया है, संबंधित तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

भी किया गया है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता हेतु उपकल्पना की सार्थकता जात करने के लिए कई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित सीमाओं का निर्धारण किया गया है।

1. अध्ययन का समग्र- प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के आदिवासी जिला अलीराजपुर ही शामिल किया गया है।

2. निदर्शन का आकार- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए कुल 72 निदर्शन का चयन जिसमें से 36 आदिवासी किशोर और 36 आदिवासी किशोरियाँ हैं।


3. अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के संपूर्ण विकासखण्ड लिए गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड से दो-दो गाँवों का चयन किया गया है।

4. शोध उपकरण- स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है।

तालिका क्रमांक - 1

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों में संलग्नता संबंधी विवरण

क्रमांक	रोजगार	किशोर	किशोरियाँ	कुल योग
1.	कृषि	33	28	31
2.	व्यवसाय	19	25	22
3.	नौकरी	9	11	10
4.	मजदूरी	25	19	22
5.	अन्य रोजगार	14	17	15
	योग	100 N=36	100 N=36	100 N=72




प्रस्तुत शोध में कुल 72 आदिवासी किशोर-किशोरियों प्रतिदर्श में से 31 प्रतिशत कृषि में, 22 प्रतिशत व्यवसाय में, 10 प्रतिशत नौकरी में, 22 प्रतिशत मजदूरी में, 15 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं। आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 33 प्रतिशत कृषि में, 19 प्रतिशत व्यवसाय में, 9 प्रतिशत नौकरी में, 25 प्रतिशत मजदूरी में, 14 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं। आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 28 प्रतिशत कृषि में, 25 प्रतिशत व्यवसाय में, 11 प्रतिशत नौकरी में, 19 प्रतिशत मजदूरी में, 17 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक 2

ग्रामीण किशोर-किशोरियों के पारम्परिक एवं अन्य व्यवसाय में संलग्नता संबंधी विवरण

क्रमांक	पारम्परिक एवं अन्य व्यवसाय	किशोर	किशोरियाँ	कुल योग
1.	परम्परागत व्यवसाय	11	17	13
2.	परिवर्तित व्यवसाय	28	33	31
3.	मिश्रित व्यवसाय	39	22	31

4.	अन्य व्यवसाय	22	28	25
	योग	100 N=36	100 N=36	100 N=72



प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 आदिवासी किशोर-किशोरियों प्रतिदर्श में से 13 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 31 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में, 31 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 25 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं। आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 11 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 28 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में, 39 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 22 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं।


आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 17 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 33 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में, 22 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 28 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक 3

ग्रामीण किशोर-किशोरियों के पारम्परिक व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी विवरण

क्रमांक	पारम्परिक व्यवसाय में परिवर्तन का विवरण	किशोर	किशोरियाँ	कुल योग
1.	साज-सज्जा व बैठक	22	41	32

	व्यवसाय			
2.	तकनीक संबंध	39	28	33
3.	उन्नत बीज	28	22	25
4.	अन्य	11	9	10
	योग	100 N=36	100 N=36	100 N=72



प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 आदिवासी किशोर-किशोरियों प्रतिदर्श में से 32 प्रतिशत साज-सज्जा व बैठक व्यवसाय में, 33 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 25 प्रतिशत उन्नत बीज में, 10 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में परिवर्तन देखा गया है। आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 22 प्रतिशत साज-सज्जा व बैठक में, 39 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 28 उन्नत बीज में, 11 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में परिवर्तन देखा गया है। आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 41 प्रतिशत साज-सज्जा व बैठक व्यवसाय में, 28 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 22 प्रतिशत उन्नत बीज में, 11 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में देखा गया है।

समस्याएँ एवं सुझाव

1 कृषि क्षेत्र में घटते लाभों के कारण आदिवासी वर्ग अन्य कार्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस हेतु उन्हें अपने गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थानों

पर भी कार्य करने जाना पड़ता है। इन आदिवासियों को स्वरोजगार हेतु कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि कृषि में लाभ कम होने पर मजदूर बनने और इधर-उधर भटकने के बजाय अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। 2 आदिवासियों के समक्ष एक समस्या यह है कि उन्हें वर्ष में कुछ ही महीने काम मिलता है। यदि वास्तव में आदिवासियों का विकास करना है, तो नीतिगत निर्णयों में उनके प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार किया जाए तथा ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जिससे कि आदिवासियों को अपने गाँव में ही वर्ष भर काम उपलब्ध हो सके और उन्हें अन्यत्र जाने की आवश्यकता न पड़े।

संदर्भ ग्रंथ

1. शर्मा एवं अग्रवाल एस.सी. एवं श्रीमती आर, जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, विद्या भवन प्रकाशन (म.प्र.)
2. मुखर्जी रविन्द्र (2011), सामाजिक अनुसंधान का पद्धतिशास्त्र, अलंकार प्रकाशन इंदौर
3. कपिल एच.के. (2012), अनुसंधान विधियाँ, एस.पी. भार्गव बुक हाउस आगरा
4. कुलश्रेष्ठ महेन्द्र प्रताप, कृषि सांख्यिकी एवं प्रयोग अभिकल्पनायें, भारती भंडार, बड़ौत (मेरठ)
5. कोठारी डॉ. मिलिंद (2009), व्यवसायिक संगठन, रमेश बुक डिपो, जयपुर
6. प्रसाद एन (1961), भारतीय समाज में जनजातियाँ, बिहार जनजातीय शोध संस्थान बिहार सरकार राँची
7. सिकलीगर, पूनमचंद (1994), वन एवं आदिवासी सामाजिक जीवन, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर
8. धरामी, अजय कुमार ए.एन. (2001), जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की समस्या जनजाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली वाल्यूम X, LIX, NO.4